(4)

डब्ल्यू.सी–1

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(आयुक्तालय, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर)

क्रमांक : एफ.18(आई–29)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2009–10 / 4123-4521 दिनांक : 30.3.10

समस्त परियोजना प्रबन्धक,
डी.डब्ल्यू.डी.यू.
जिला परिषद,

विषय :– स्वयं सहायता समूह एवं उपभोक्ता समूह को चिन्हित करने के सम्बन्ध में।

आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा समान मार्गदर्शी सिद्धान्त माह अप्रैल 2008 से लागू की गई है। आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत वर्ष 2009–10 में भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर परियोजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। इसी क्रम में आपको डब्ल्यू.डी.टी. नियोजित करने एवं ई.पी.ए. के कार्यो के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा क्रमशः दिनांक 10.12.2009 एवं 23.2.2010 को परिपत्र जारी किये गये तथा विभाग द्वारा निर्देश दिये गये थे कि ई.पी.ए. के कार्य मार्च 2010 तक पूर्ण कर लिये जावें।

कार्यक्रम की क्रियान्विति हेतु स्वयं सहायता समूह एवं उपभोक्ता समूह के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है :–

1. परियोजना क्षेत्र में को चिन्हित करने की प्रकिया सामान्य मार्गदर्शिका के पैरा 42 एवं 43 अनुसार प्रारम्भ की जावें एवं 15 दिवस में पूर्णतः चिन्हित किये गये स्वयं सहायता समूह एवं उपभोक्ता समूह की सूची आयुक्तालय को प्रेषित की जावें।

2. यदि परियोजना क्षेत्र में अन्य विभागों के स्वयं सहायता समूह पूर्व में ही गठित है तो इन्हीं समूहों को परियोजना हेतु नियोजित कर लिया जावें, पृथक से स्वयं सहायता समूह गठित करने की आवश्यकता नहीं है। इस हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, सहकारिता विभाग, डेयरी आदि विभागों के जिला स्तरीय कार्यालयों को आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजनान्तर्गत आने वाले गांवों की सूची प्रेषित करते हुए इन विभागों द्वारा परियोजना क्षेत्र अन्तर्गत आने वाले गांवों में गठित स्वयं सहायता समूह की सूची प्राप्त की जावें।

3. स्वयं सहायता समूह को नियोजित करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जावें कि जलग्रहण क्षेत्र में आने वाले सभी भूमिहीन परिवारों का कम से कम एक सदस्य इन समूह का सदस्य हो। यदि ऐसा नहीं है तो ही नये स्वयं सहायता समूह के गठन की प्रकिया प्रारम्भ की जावें।

(5)

नये समूह के गठन में यह ध्यान रखा जावें कि :—

- समूह के सदस्यों में सामाजिक एवं आर्थिक समरूपता होनी चाहिए।
- समूह में 10—20 सदस्य हो सकते है।
- सदस्य एक ही गांव के निवासी होने चाहिए।
- एक समय में एक व्यक्ति एक ही समूह का सदस्य हो।
- एक परिवार से एक समूह में एक व्यक्ति को ही सदस्य बनाया जावें।

4. उपभोक्ता समूह के चिन्हिकरण में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि वे जलग्रहण विकास की किसी न किसी गतिविधि से लाभान्वित हो। उपभोक्ता समूह के चिन्हिकरण में जिन काश्तकारों के खसरा सीमा मिलती हो वे एक उपभोक्ता समूह के सदस्य हो सकते हैं।

जलग्रहण परियोजना में स्वयं सहायता समूह एवं उपभोक्ता समूह के चिन्हित करने के उपरान्त जलग्रहण समिति के गठन के निर्देश जारी किये जावेंगे।

आयुक्त

क्रमांक : एफ.18(आई—29)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2009—10 / 4123-4322 दिनांक : 30.3.10

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. लेखाधिकारी (समस्त), जिला परिषद,
2. सहायक अभियन्ता (पी.आई.ए.), पंचायत समिति —————— को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि परियोजना क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह एवं उपभोक्ता समूह के गठन की प्रक्रिया प्रारम्भ करें।

आयुक्त